रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जून 5—जून 11, 2011, शनिवार/ज्येष्ठ 15—ज्येष्ठ 21, 1933
No. 24] NEW DELHI, JUNE 5—JUNE 11, 2011, SATURDAY/JYAISTHA 15—JYAISTHA 21, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 2011

सा.का.नि. 175.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, कलाकार समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में हैड कांस्टेबल (नक्शानवीस) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय, हैड कांस्टेबल (नक्शानवीस), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. हैड कांस्टेबल (नक्शानवीस)	1* (2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी — (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हता हैं :— (i) मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य । (ii) मानचित्र पठन अनुदेशक पाठ्यक्रम अर्हित होना चाहिए । (iii) नक्शानवीस पाठ्यक्रम अर्हित होना चाहिए । (iv) कम्प्यूटर का कार्यकरण ज्ञान होना चाहिए ।

(11)

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं और जिनके पास कलाकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव है और यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है और यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उप महानिरीक्षक (कार्मिक), सीमा सुरक्षा बल —अध्यक्ष 2. कमांडेंट (स्टाफ), सीमा सुरक्षा बल —सदस्य 3. उप कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 17/02/2009-कार्मिक/सीसुबल]

अजय कु. सिंह, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 31st May, 2011

G.S.R. 175.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Director General Border Security Force, Artist Group 'C' post Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such suprsession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable (Draftsman) in the Border Security Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Border Security Force, Headquarters, Head Constable (Draftsman), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Head Constable (Draftsman)	1* (2011) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By deputation failing which by re-employment	**Deputation :** Officers of the Central Government,— (a) holding analogous posts on regular basis ; or (b) with five years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay of Rs. 2400 or with eight years service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay of Rs. 2000 and possessing the following qualifications :— (i) Matriculation or its equivalent. (ii) Map Reading Instructor course qualified. (iii) Draftsman course qualified. (iv) Should have working knowledge of computers. **Note 1 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 2 :** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 52 years as on the closing date of receipt of applications. **Re-employment :** The Armed Forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the qualifications prescribed for deputationists and having five years experience as an artist shall be considered and if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they shall be continued on re-employment and in case such eligible officers have been retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering selection) consisting of :— (1) Deputy Inspector General (personnel), Border Security Force —Chairman (2) Commandant (Staff), Border Security Force —Member (3) Deputy Commandant, Border Security Force —Member	Not applicable.

[F. No. 17/02/2009-Pers/BSF]

AJAY K. SINGH, Director (Personnel)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 8 जून, 2011

सा.का.नि. 176.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 में,—

(1) नियम 8 के उपनियम (1) के परंतुक में, "तीन सौ पचहत्तर रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(2) नियम 9 के उपनियम (1) के दूसरे परंतुक में, "तीन सौ पचहत्तर रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(3) नियम 38 के उपनियम (2) के खंड (क) में, "दो हजार दो सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(4) नियम 40 के उपनियम (3) में, "तीन सौ पचहत्तर रुपए प्रतिमास" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास" शब्द रखे जाएंगे;

(5) नियम 41 के उपनियम (2) में, "तीन सौ पचहत्तर रुपए प्रतिमास" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास" शब्द रखे जाएंगे;

(6) नियम (49) में,—

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) सेवानिवृत्त की तारीख को अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता को उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में भी माना जाएगा ।";

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की दशा में, पेंशन की रकम, न्यूनतम तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास और अधिकतम पैंतालीस हजार रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए परिलब्धियों का पचास प्रतिशत या औसत परिलब्धियों, का पचास प्रतिशत जो उसको अधिक फायदाप्रद हो, पर संगणित की जाएगी ।

(2क) उपनियम (2) के अनुसार अनुज्ञेय पेंशन के अतिरिक्त, अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के पश्चात् अतिरिक्त पेंशन निम्नलिखित रीति में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को संदेय होगी

पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त पेंशन
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100% ।";

(ग) उपनियम (4) में, शब्द कोष्ठक और अक्षर "के खंड (क) और खंड (ख)" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(7) नियम 50 में,—

(क) उपनियम (1) के पहले परंतुक में, "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (5) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता को इस नियम के प्रयोजनों के लिए परिलब्धियों के रूप में भी माना जाएगा ।";

(8) नियम 51 के उपनियम (1) के खंड (ख) में,—

(क) उपखंड (i) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (i), (ii) और (iv)" के स्थान पर "खंड (i), (ii), (iii), (iv) और (v)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (ii) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (v), (vi) (vii), (viii), (ix), (x) और (xi)" के स्थान पर "खंड (vi) (vii), (viii), (ix), (x) और (xi)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(9) नियम 54 में,—

(क) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम 13ख के उपबंधों के अधीन और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब किसी सरकारी सेवक की मृत्यु—

(i) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात् हो जाती है; या

(ii) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पूर्व हो जाती है परंतु यह तब जब कि संबद्ध मृतक सरकारी सेवक की सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा परीक्षा की गई हो और उसे उपयुक्त घोषित किया गया हो; या

(iii) सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् हो जाती है और वह अपनी मृत्यु की तारीख को इन नियमों में निर्दिष्ट पेंशन, अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा है

तो मृतक का कुटुंब, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कुटुंब पेंशन स्कीम, 1964 के अधीन कुटुंब पेंशन (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् कुटुंब पेंशन कहा गया है) का हकदार होगा जिसकी रकम न्यूनतम तीन हजार पांच सौ रुपये और अधिकतम सत्ताइस हजार प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 30% की समरूप दर पर अवधारित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण– 'एक वर्ष की लगातार सेवा' पद का, जहां कहीं भी वह इस नियम में आता है, अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत खंड (ii) में यथापरिभाषित "एक वर्ष से अन्यून लगातार सेवा" भी है ।";

(ख) उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2ख) उपनियम (2), (2क), और (3) के अनुसार अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त, अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के पश्चात् अतिरिक्त कुटुंब पेंशन निम्नलिखित रीति में संदेय होगी

कुटुंब पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त कुटुंब पेंशन
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष होने तक	मूल कुटुंब पेंशन का 20%
85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष होने तक	मूल कुटुंब पेंशन का 30%
90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष होने तक	मूल कुटुंब पेंशन का 40%
95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष होने तक	मूल कुटुंब पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	मूल कुटुंब पेंशन का 100% ।";

(ग) उपनियम (3) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क)(i) जहां किसी ऐसे सरकारी सेवक की, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) द्वारा शासित नहीं होता है, सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात् सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है वहां कुटुंब पेंशन की दर अंत में लिए गए वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर होगी और इस प्रकार अनुज्ञेय रकम सरकारी सेवक की मृत्यु की आगामी तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगी ।

(ii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में उपखंड (i) के अधीन यथा अवधारित कुटुंब पेंशन सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा सेवानिवृत्त मृत सरकारी सेवक, यदि वह जीवित रहता तो, जिस तारीख को 67 वर्ष की आयु का हो जाता, उस तारीख तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, संदेय होगी ।

परंतु इस उपखंड (ii) के अधीन अवधारित कुटुंब पेंशन की रकम किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति होने पर मंजूर की जाने वाली पेंशन से अधिक नहीं होगी ।

परंतु यह और कि जहां सेवानिवृत्ति होने पर मंजूर की जाने वाली पेंशन की रकम उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन की रकम से कम हो, वहां इस खंड के अधीन अवधारित पेंशन की रकम उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की रकम तक सीमित होगी ।

स्पष्टीकरण– इस उपखंड के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्ति होने पर मंजूर की जाने वाली पेंशन के अंतर्गत पेंशन का वह भाग भी है जिसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक मृत्यु से पहले संराशीकृत कर सकता है ।";

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) जहां केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन कोई पंचाट अनुज्ञेय है वहां इस नियम के अधीन पंचाट के बने रहने के दौरान कोई कुटुंब पेंशन मंजूर नहीं की जाएगी ।";

(ङ) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) वह अवधि जिस के लिए कुटुंब पेंशन संदेय है, वह निम्नानुसार होगी :—

(i) पहले परंतुक के अध्यधीन, विधवा अथवा विधुर की दशा में मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक इनमें से जो भी पहले हो;

(ii) दूसरे परंतुक के अध्यधीन, अविवाहित पुत्र की दशा में जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले या जब तक वह विवाहित न हो जाए या जब तक वह अपनी जीविका उपार्जन आरंभ न कर दें, इनमें से जो पहले हो;

(iii) दूसरे और तीसरे परंतुक के अध्यधीन, अविवाहित या विधवा या परित्यक्त पुत्री की दशा में जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले या जब तक उसका विवाह अथवा पुनर्विवाह न हो जाए या जब तक वह अपनी जीविका उपार्जन आरंभ न कर दें, इनमें से जो पहले हो;

(iv) उपनियम (10क) के अधीन माता पिता की दशा में जो सरकारी सेवक की मृत्यु के ठीक पहले पूर्णत: सरकारी सेवक पर आश्रित थे; जीवनभर के लिए

(v) उपनियम (10ख) और चौथे परंतुक के अधीन, नि:शक्त सहोदर (अर्थात् भाई और बहन) की दशा में जो सरकारी सेवक की मृत्यु के ठीक पूर्व सरकारी सेवक पर आश्रित थे; जीवनभर के लिए

परंतु कुटुंब पेंशन, पुनर्विवाह पर नि:संतान विधवा को संदेय होना जारी रहेगी यदि सभी अन्य स्त्रोतों से उसकी आय, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय मंहगाई राहत से कम है :

परंतु यह और कि यदि सरकारी सेवक का पुत्र या पुत्री जो मानसिक विकार या नि:शक्तता से ग्रस्त है, जिसमें मानसिक मंदन या शारीरिक अपंगता या नि:शक्तता सम्मिलित है, जिससे उसको पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविका उपार्जन करने में असमर्थता है, ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुंब पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संज्ञेय होगी, अर्थात् :—

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री, सरकारी सेवक के दो या दो में से अधिक बालकों में से एक है तो कुटुंब पेंशन प्रारंभत: इन नियम के उपनियम (8) के खंड (iii) में दिए गए आदेश में अवयस्क बालकों [उपनियम के खंड (ii) या खंड (iii) में उल्लिखित] को रूप में तब तक संदेय होगी जब तक अंतिम बालक पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और तत्पश्चात् कुटुंब पेंशन उस पुत्र या पुत्री के पक्ष में जो मानसिक विकार या मस्तिष्क की नि:शक्तता, जिसमें मानसिक मंदन या जो शारीरिक रूप से अपंग या नि:शक्तता है, सम्मिलित है, से ग्रस्त है, संदेय होगी और यह उसे आजीवन संदेय होगी;

(ii) यदि एक या एक से अधिक ऐसे बालक मस्तिष्क के विकार या नि:शक्तता, जिसमें मानसिक मंदता भी सम्मिलित है, से ग्रस्त हैं या जो शारीरिक रूप से अपंग या नि:शक्त हैं तो कुटुंब पेंशन उनके जन्म के क्रम में संदत्त की जाएगी और उनमें से कनिष्ठ व्यक्ति कुटुंब पेंशन केवल तभी प्राप्त करेगा जब उससे ठीक ऊपर वरिष्ठ व्यक्ति पात्र नहीं रह जाता है :

परंतु जहां कुटुंब पेंशन ऐसे जुड़वा बालकों को संदेय है वहां इसे इस नियम के उपनियम (7) के खंड (घ) में दी गई रीति में संदत्त किया जाएगा;

(iii) ऐसे पुत्र या पुत्री को कुटुंब पेंशन संरक्षक के माध्यम से संदत्त की जाएगी मानो वह अवयस्क होता सिवाय शारीरिक रूप से अपंग पुत्र या पुत्री के, जिसने वयस्कता की आयु को प्राप्त किया हो;

(iv) किसी ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुंब पेंशन के अनुज्ञात करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान करेगा कि विकलांगता ऐसी प्रकृति की है जो उसे जीविका का उपार्जन करने से रोकती है और उसी को संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक या प्रधानाचार्य या निदेशक या प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उसके नानिर्देशिती और दो अन्य सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता, जिसमें मानसिक मंदता भी शामिल है के विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, के रूप में उससे मिलकर बनने वाले चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाणपत्र द्वारा साक्षयित होगा जिसमें यथासंभव बालक की सटीक मानसिक या शारीरिक दशा उपवर्जित की गई है;

(v) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा व्यक्ति या ऐसा पुत्र या पुत्री के माध्यम से कुटुंब पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक या प्रधानाचार्य या निदेशक या प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनका नामनिर्देशिती और उसके दो अन्य सदस्य जिसमें से कम से कम एक सदस्य मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता, जिसमें मानसिक मंदता भी है, के विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, से मिलकर बनने वाले चिकित्सा बोर्ड से इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, एक बार यदि नि:शक्तता स्थायी है और प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार, यदि नि:शक्तता अस्थायी है, कि वह मस्तिष्क के विकार या नि:शक्तता या शारीरिक अपंगता या नि:शक्तता से लगातार ग्रस्त रहता है;

(vi) मानसिक रूप से मंदित पुत्र या पुत्री की दशा में कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, सरकारी सेवक या पेंशनभोगी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदेय होगी और यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन उसके जीवनकाल के दौरान सरकारी सेवक या पेंशनभोगी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को, यथास्थिति, ऐसे सरकारी सेवक या कुटुंब पेंशन भोगी के पति या पत्नी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं किया जाता है और स्थानीय स्तर समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1944 का 44) की धारा 14 के अधीन जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र भी उक्त अधिनियम में यथाउपदर्शित स्वपरायणता, प्रर्मास्तष्क घात मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के

संबंध में कुटुंब पेंशन मंजूर करने के लिए संरक्षक का नामनिर्देशन या उसकी नियुक्ति के लिए भी स्वीकार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक किसी अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की मंजूरी या निरंतरता या जब तक वह विवाहित या पुनर्विवाहित नहीं हो जाती, या जब तक वह जीविका अर्जन करना प्रारंभ नहीं करती, जो भी पूर्वतर हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

(i) इस नियम के उपनियम (8) के खंड (iii) में दिए गए आदेश में अवयस्क बालकों [इस उपनियम के खंड (ii) या उपखंड (iii) में उल्लिखित] को कुटुंब पेंशन आरंभिक रूप में संदेय होगी जब तक अंतिम अवस्यक बालक पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है; और

(ii) इस उपनियम के दूसरे परंतुक के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई नि:शक्त बालक पात्र नहीं है :

परंतु यह भी कि ऐसा नि:शक्त सहोदर, इस नियम में यथा अधिकथित उसी रीति में और आगामी उसी नि:शक्तता के मानदंड में आजीवन कुटुंब पेंशन का हकदार होगा जो सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पुत्र या पुत्री की दशा में, जो मस्तिष्क के विकार या नि:शक्तता (मानसिक मंदता सहित) से ग्रस्त है या जो शारीरिक रूप से विकलांग या नि:शक्त है जिससे कि वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् भी जीविका के उपार्जन करने में असमर्थ है, के लिए लागू हैं ।

स्पष्टीकरण 1.—कोई अविवाहित पुत्र या अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री इस उपनियम के अधीन उस तारीख को, जिसको वह विवाह या पुनर्विवाह कर लेता है, कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2.—ऐसे किसी पुत्र या पुत्री या माता-पिता या सहोदर को देय कुटुंब पेंशन रुक जाएगी यदि वह या वे अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ कर देते हैं ।

स्पष्टीकरण 3.—यह पुत्र या पुत्री या सहोदर या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार, यथास्थिति, खजाना या बैंक का यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि (i) उसने अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ नहीं किया है (ii) वह अभी तक अविवाहित है या वह पुनर्विवाहित नहीं है और उसी प्रकार का प्रमाणपत्र नि:संतान विधवा द्वारा उसके पुनर्विवाह के पश्चात् या माता-पिता द्वारा एक वर्ष में एक बार, यथास्थिति, खजाने या बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने या उन्होंने अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण 4.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए कुटुंब का सदस्य अपनी जीविका का उपार्जन करता समझा जाएगा यदि उसकी अन्य स्त्रोत से आय, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकृत महंगाई राहत से अधिक है ।

स्पष्टीकरण 5.—माता-पिता को सरकारी सेवक पर आश्रित समझा जाएगा यदि उनकी सम्मिलित आय इस नियम के उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत से कम है ।

स्पष्टीकरण 6.—नि:शक्त सहोदर सरकारी सेवक पर आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी आय इस नियम के उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत से कम है ।

स्पष्टीकरण 7.—नि:संतान विधवा को देय कुटुंब पेंशन रोक दी जाएगी, यदि, पुनर्विवाह के पश्चात्, उसकी अन्य स्त्रोतों से आय इस नियम के उपनियम (2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय मंहगाई राहत के बराबर या अधिक हो जाती है ।

(च) उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(10क) (क) माता-पिता को कुटुंब पेंशन देय होगी यदि माता-पिता, सरकारी सेवक की अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों और मृत सरकारी सेवक का कोई विधवा या पात्र बालक जीवित न हो ।

(ख) कुटुंब पेंशन, जब कभी माता-पिता को अनुज्ञेय हो, मृत सरकारी सेवक की मां को संदेय होगी जिसके न हो सकने पर मृत सरकारी सेवक के पिता को संदेय होगी ।

(10ख) आश्रित नि:शक्त सहोदर को कुटुंब पेंशन संदेय होगी यदि सहोदर मृत सरकारी सेवक की उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व सरकारी सेवक पर आश्रित था और मृत सरकारी सेवक का कोई विधवा या पात्र बालक या माता-पिता जीवित नहीं है ।";

(छ) उपनियम (11) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) (i) यदि उत्तरजीवी बालक उपनियम (3) में वर्णित दर से दोनों कुटुंब पेंशनें पाने का पात्र है या पाने के पात्र हैं तो दोनों पेंशन की रकम पैंतालीस हजार रुपए प्रति मास तक सीमित रहेगी;

(ii) यदि कुटुंब पेंशनों में से एक उपनियम (3) में वर्णित दरों से संदेय नहीं रह जाती और उसके

बदले में उपनियम (2) में वर्णित दर से पेंशन संदेय हो जाती है तो दोनों पेंशनों की रकम भी पैंतालीस हजार रुपए प्रति मास तक सीमित होगी;

(ख) यदि दोनों ही कुटुंब पेंशनें उपनियम (2) में वर्णित दरों से संदेय है तो दोनों पेंशनों की रकम सत्ताईस हजार रुपए प्रति मास तक सीमित होगी ।";

(ज) उपनियम (11ख) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) उपनियम (11क) के परंतुक के अधीन रहते हुए, इस नियम के अधीन, बालक या बालकों का कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं रहने के पश्चात् ऐसी कुटुंब पेंशन मृत सरकारी सेवक के न्यायिक रूप से पृथक उत्तरजीवी पति या पत्नी को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, संदेय हो जाएगी ।";

(झ) उपनियम (12) के खंड (ख) में "बालिका" शब्द के स्थान पर "उसके बालक" शब्द रखे जाएंगे;

(ञ) उपनियम (13ख) के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 और कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त अनुज्ञात होगी, जहां कहीं लागू हों ।";

(ट) उपनियम (14) के खंड (ख) में उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ii) अविवाहित पुत्र, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक ग्रहीत पुत्र या पुत्री भी हैं;

(iii) आश्रित माता-पिता;

(iv) सरकारी सेवक का आश्रित नि:शक्त सहोदर (अर्थात् भाई या बहन) ।";

(ठ) उपनियम (15) में खंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 38/80/08-पी एंड पीडब्ल्यू]

तृप्ति पी. घोष, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम का.आ. संख्यांक 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए । जुलाई, 1988 तक का संशोधित नियमों का चौथा संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था । उक्त नियम निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा तत्पश्चात् संशोधित किए गए :—

1. का.आ. 254, तारीख 4 फरवरी, 1989
2. का.आ. 970, तारीख 6 मई, 1989
3. का.आ. 2467, तारीख 7 अक्तूबर, 1989
4. का.आ. 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990
5. का.आ. 1454, तारीख 26 मई, 1990
6. का.आ. 2329, तारीख 8 सितम्बर, 1990
7. का.आ. 3269, तारीख 8 दिसम्बर, 1990
8. का.आ. 3270, तारीख 8 दिसम्बर, 1990
9. का.आ. 3273, तारीख 8 दिसम्बर, 1990
10. का.आ. 409, तारीख 9 फरवरी, 1991
11. का.आ. 464, तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का.आ. 2287, तारीख 7 सितम्बर, 1991
13. का.आ. 2740, तारीख 2 नवम्बर, 1991
14. सा.का.नि. 677, तारीख 7 दिसम्बर, 1991
15. सा.का.नि. 39, तारीख 1 फरवरी, 1992
16. सा.का.नि. 55, तारीख 15 फरवरी, 1992
17. सा.का.नि. 570, तारीख 19 दिसम्बर, 1992
18. का.आ. 258, तारीख 13 फरवरी, 1993
19. का.आ. 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा.का.नि. 449, तारीख 11 सितम्बर, 1993
21. का.आ. 1984, तारीख 25 सितम्बर, 1993
22. सा.का.नि. 389(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1994
23. का.आ. 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का.आ. 259, तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का.आ. 904(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2000
26. का.आ. 717(अ), तारीख 27 जुलाई, 2001
27. सा.का.नि. 75(अ), तारीख 1 फरवरी, 2002
28. का.आ. 4000, तारीख 28 दिसम्बर, 2002
29. का.आ. 860(अ), तारीख 28 जुलाई, 2003
30. का.आ. 1483(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2003
31. का.आ. 1487(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005
32. सा.का.नि. 723(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2006
33. का.आ. 1821(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2007
34. का.आ. 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2008
35. का.आ. 1028(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008
36. का.आ. 829(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 8th June, 2011

G.S.R. 176.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972,—

(1) in rule 8, in sub-rule (1), in the proviso, for the words "rupees three hundred and seventy five", the words "rupees three thousand five hundred" shall be substituted;

(2) in rule 9, in sub-rule (1), in the second proviso, for the words "rupees three hundred and seventy-five", the words "rupees three thousand five hundred" shall be substituted;

(3) in rule 38, in sub-rule (2), in clause (a), for the words "two thousand and two hundred rupees", the words "twenty one thousand rupees" shall be substituted;

(4) in rule 40, in sub-rule (3), for the words "rupees three hundred and seventy-five per mensem", the words "rupees three thousand five hundred per mensem" shall be substituted;

(5) in rule 41, in sub-rule (2), for the words "rupees three hundred and seventy-five per mensem", the words "rupees three thousand five hundred per mensem" shall be substituted;

(6) in rule 49,-

(a) after sub - rule (1), the following shall be inserted, namely:--

"(1A) The dearness allowance admissible on the date of retirement shall also be treated as emoluments for the purpose of sub-rule(1).";

(b) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely;--

"(2) In the case of a Government servant retiring in accordance with the provisions of these rules after completing the qualifying service of not less than ten years, the amount of pension shall be calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of three thousand and five hundred rupees per mensem and a maximum of forty-five thousand rupees per mensem.

(2A) In addition to pension admissible in accordance with sub-rule (2), after completion of eighty years of age or above, additional pension shall be payable to the retired Government servant in the following manner :—

Age of pensioner	Additional pension
From 80 years to less than 85 years	20% of basic pension.
From 85 years to less than 90 years	30% of basic pension.
From 90 years to less than 95 years	40% of basic pension.
From 95 years to less than 100 years	50% of basic pension.
100 years or more	100% of basic pension." ;

(c) in sub-rule (4), the words, brackets and letters "clause (a) or clause (b) of" shall be omitted;

(7) in rule 50, -

(a) in sub-rule (1), in the first proviso, for the words "two lakh and fifty thousand rupees", the words "ten lakh rupees" shall be substituted;

(b) in sub-rule (5), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely;--

"Provided further that the dearness allowance admissible on the date of retirement or death, as the case may be, shall also be treated as emoluments for the purpose of this rule.";

(8) in rule 51, in sub-rule (1), in clause (b),-

(a) in sub-clause (i), for the words, brackets and letters "clauses (i),(ii),(iii) and (iv)" , the words brackets and letters "clauses (i),(ii),(iii),(iv) and (v)" shall be substituted;

(b) in sub-clause (ii), for the words, brackets and letters "clauses (v),(vi),(vii),(viii),(ix),(x) and (xi)", the words brackets and letters "clauses (vi),(vii),(viii),(ix),(x) and (xi)" shall be substituted;

(9) in rule 54,—

(a) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) Subject to the provisions of sub-rule 13-B and without prejudice to the provisions contained in sub-rule (3), where a Government servant dies -

(i) after completion of one year of continuous service; or

(ii) before completion of one year of continuous service, provided the deceased Government servant concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by the appropriate medical authority and declared fit by that authority for Government service; or

(iii) after retirement from service and was on the date of death in receipt of a pension, or compassionate allowance, referred to in these rules,

the family of the deceased shall be entitled to Family Pension (hereinafter in this rule referred to as family pension) under the Family Pension Scheme for Central Government Employees, 1964, the amount of which shall be determined at a uniform rate of 30% of basic pay subject to a minimum of three thousand and five hundred rupees per mensem and a maximum of twenty-seven thousand rupees per mensem.

EXPLANATION.—The expression 'one year of continuous service' wherever it occurs in this rule shall be construed to include 'less than one year of continuous service' as defined in clause (ii).";

(b) after sub-rule (2A), the following shall be inserted, namely:--

"(2B) In addition to family pension admissible in accordance with sub-rules (2), (2A) and (3), after completion of eighty years of age or above, additional family pension shall be payable in the following manner :—

Age of family pensioner	Additional family pension
From 80 years to less than 85 years	20% of basic pension.
From 85 years to less than 90 years	30% of basic pension.
From 90 years to less than 95 years	40% of basic pension.
From 95 years to less than 100 years	50% of basic pension.
100 years or more	100% of basic pension." ;

(c) in sub-rule (3), for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) (i) Where a Government servant, who is not governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to 50 per cent of the pay last drawn and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the Government servant for a period of ten years.

(ii) In the event of death of a Government servant after retirement, the family pension as determined under sub-clause (i) shall be payable for a period of seven years, or for a period up to the date on which the retired deceased Government servant would have attained the age of 67 years had he survived, whichever is less:

Provided that in no case the amount of family pension determined under sub-clause (ii) shall exceed the pension authorised on retirement from Government service:

Provided further that where the amount of pension authorised on retirement is less than the amount of family pension admissible under sub-rule (2), the amount of family pension determined under this clause shall be limited to the amount of family pension admissible under sub-rule (2).

EXPLANATION.—For the purpose of this sub-clause, pension authorised on retirement includes the part of the pension which the retired Government servant may have commuted before death.";

(d) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) Where an award under the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules 1939, is admissible, no family pension under this rule shall be authorised during the currency of award.";

(e) for sub-rule (6), the following shall be substituted, namely:—

"(6) The period for which family pension is payable shall be as follows:—

(i) subject to first proviso, in the case of a widow or widower, up to the date of death or re-marriage, whichever is earlier;

(ii) subject to second proviso, in the case of an unmarried son, until he attains the age of twenty-five years or until he gets married or until he starts earning his livelihood, whichever is the earliest;

(iii) subject to second and third provisos, in the case of an unmarried or widowed or divorced daughter, until she gets married or remarried or until she starts earning her livelihood, whichever is earlier;

(iv) subject to sub-rule (10-A) , in the case of parents, who were wholly dependent on the Government servant immediately before the death of the Government servant, for life;

(v) Subject to sub-rule 10(B) and the fourth proviso, in the case of disabled siblings (i.e. brother and sister) who were dependent on the Government Servant immediately before the death of Government servant, for life:

Provided that family pension shall continue to be payable to a childless widow on re-marriage, if her income from all other sources is less than the amount of minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon:

Provided further that if the son or daughter of a Government servant is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely :—

(i) if such son or daughter is one among two or more children of the Government servant, the family pension shall be initially payable to the minor children [mentioned in clause (ii) or clause (iii) of this sub-rule] in the order set out in clause (iii) of sub-rule (8) of this rule until the last child attains the age of twenty-five and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind, including the mentally retarded, or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her, for life;

(ii) if there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind including the mentally retarded or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible:

Provided that where the family pension is payable to such twin children it shall be paid in the manner set out in clause (d) of sub-rule (7) of this rule;

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of the physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;

(iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the handicap is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce a certificate, from a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation, once, if the disability is permanent and if the disability is temporary, once in every five years to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled;

(vi) in the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension shall be payable to a person nominated by the Government servant or the pensioner, as the case may be, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such Government servant or pensioner during his lifetime, to the person nominated by the spouse of such Government servant or family pensioner, as the case may be, later on and the Guardianship Certificate issued under Section 14 of the National Trust Act,1999 (No. 44 of 1999), by a local level Committee, shall also be accepted for nomination or appointment of guardian for grant of family pension in respect of person(s) suffering from Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities as indicated in the said Act:

Provided also that the grant or continuance of family pension to an unmarried or widowed or divorced daughter beyond the age of twenty-five years or until she gets married or re-married or until she starts earning her livelihood, whichever is the earliest, shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) the family pension shall be initially payable to the minor children (mentioned in clause (ii) or clause (iii) of this sub-rule) in the order set out in clause (iii) of sub-rule (8) of this rule until the last minor child attains the age of twenty-five years; and

(ii) there is no disabled child eligible to receive family pension in accordance with the second proviso of this sub-rule:

Provided also that such disabled siblings shall be eligible for family pension for life in the same manner and following the same disability criteria, as laid down in this rule in the case of son or daughter of the Government employees or pensioners suffering from any disorder or disability of mind (including mentally retarded) or physically crippled or disabled, so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years.

Explanation 1.—An unmarried son or an unmarried or widowed or divorced daughter shall become ineligible for family pension under this sub-rule from the date he or she gets married or remarried.

Explanation 2.—The family pension payable to such a son or a daughter or parents or siblings shall be stopped if he or she or they start earning his or her or their livelihood.

Explanation 3.—It shall be the duty of son or daughter or siblings or the guardian to furnish a certificate to the Treasury or Bank, as the case may be, once in a year that, (i) he or she has not started earning his or her livelihood, and (ii) he or she has not yet married or remarried and a similar certificate shall be furnished by a childless widow after her re-marriage or parents to the Treasury or Bank, as the case may be, once in a year that she or he or they have not started earning her or his or their livelihood.

Explanation 4.—For the purpose of this sub-rule, a member of the family shall be deemed to be earning his or her livelihood if his or her income from other sources is equal to or more than the minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon.

Explanation 5.—Parent shall be deemed to be dependent on the Government servant if their combined income is less than the minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon.

Explanation 6.—Disabled sibling shall be deemed to be dependent on the Government servant if their income is less than the minimum family pension admissible under sub-rule (2) of this rule and dearness relief thereon.

Explanation 7.—Family pension payable to a childless widow shall be stopped if, after re-marriage, her income from all other sources becomes equal to or exceeds the amount of minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon";

(f) after sub-rule (10), the following shall be inserted, namely:—

"(10-A)(a) Family pension to the parents shall be payable if the parents were wholly dependent on the Government servant immediately before his or her death and the deceased Government servant is not survived by a widow or an eligible child.

(b) The family pension, wherever admissible to parents, will be payable to the mother of the deceased Government servant failing which to the father of the deceased Government servant.

(10-B) Family pension to the dependent disabled siblings shall be payable if the siblings were wholly dependent upon the Government servant immediately before his or her death and deceased Government servant is not survived by a widow or an eligible child or eligible parents.";

(g) in sub-rule 11, for clauses (a) and (b) the following shall be substituted, namely:—

"(a)(i) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rate mentioned in sub-rule (3), the amount of both the family pensions shall be limited to forty-five thousand rupees per mensem ;

(ii) if one of the family pensions ceases to be payable at the rate mentioned in sub-rule (3), and in lieu thereof the family pension at the rate mentioned in sub-rule (2) becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to forty-five thousand rupees per mensem;

(b) if both the family pensions are payable at the rates mentioned in sub-rule (2), the amount of two family pensions shall be limited to twenty-seven thousand rupees per mensem.";

(h) in sub-rule (11-B), after clause (b), the following shall be inserted, namely:—

"(c) Subject to the proviso to or of sub-rule (11-A), after the child or children cease to be eligible for family pension under this rule, such family pension shall become payable to the surviving judicially separated spouse of the deceased Government Servant till his or her death or remarriage, whichever is earlier.";

(i) in sub-rule (12), in clause (b), the word 'female' shall be omitted;

(j) in sub-rule (13B), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that the family pension admissible under these rules shall be allowed in addition to the family pension under the Employees Pension Scheme, 1995 and the Family Pension Scheme, 1971, where ever applicable.";

(k) in sub-rule (14), in clause (b) for sub-clause (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(ii) unmarried son who has not attained the age of twenty-five years and unmarried or widowed or divorced daughter, including such son and daughter adopted legally;

(iii) dependent parents;

(iv) dependent disabled siblings (i.e. brother or sister) of a Government servant.";

(l) in sub-rule (15), clause (c) shall be omitted.

[F. No. 38/80/08-P&PW]

TRIPTI P. GHOSH, Director

Note :— The Principal rules were published *vide* number S.O. 934, dated the 1st April, 1972. The Fourth Edition of the rules corrected up to July, 1988 was published in the year of 1988. The said rules were subsequently amended vide notifications given below :—

1. S.O. 254, dated the 4th February, 1989
2. S.O. 970, dated the 6th May, 1989
3. S.O. 2467, dated the7th October, 1989
4. S.O. 899, dated the 14th April, 1990
5. S.O. 1454, dated the 26th May, 1990
6. S.O. 2329, dated the 8th September, 1990
7. S.O. 3269, dated the 8th December, 1990
8. S.O. 3270, dated the 8th December, 1990
9. S.O. 3273, dated the 8th December, 1990
10. S.O. 409, dated the 9th February, 1991
11. S.O. 464, dated the 16th February, 1991
12. S.O. 2287, dated the 7th September, 1991
13. S.O. 2740, dated the 2nd November, 1991
14. GSR. 677, dated the 7th December, 1991
15. GSR. 399, dated the 1st February, 1992
16. GSR. 55, dated the 15th February, 1992
17. GSR. 570, dated the 19th December, 1992
18. S.O. 258, dated the13th February, 1993
19. S.O. 1673, dated the 7th August, 1993
20. GSR. 449, dated the 11th September, 1993
21. S.O. 1984, dated the 25th September,1993
22. GSR. 389(E), dated the 18th April, 1994
23. S.O. 1775, dated the 19th July, 1997
24. S.O. 259, dated the 30th January, 1999
25. S.O. 904(E), dated the 30th September, 2000
26. S.O. 717(E), dated the 27th July, 2001
27. G.S.R. 75(E), dated the1st February, 2002
28. S.O. 4000, dated the 28th December, 2002
29. S.O. 860(E), dated the 28th July, 2003
30. S.O. 1483(E), dated the 30th December, 2003
31. S.O. 1487(E), dated the 14th October, 2005
32. G.S.R. 723(E), dated the 23rd November, 2006
33. S.O. 1821(E), dated the 25th October, 2007
34. G.S.R. 258(E), dated the 31st March, 2008
35. S.O. 1028(E), dated the 25th April, 2008.
36. S.O. 829(E), dated the 12th April, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.